वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक विवरणियों के आधार पर मार्च, 1997 के अंत कि स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) रूग्ण लघु उद्योगों (एस एस आई) और गैर एस एस आई (रूग्ण/कमजोर) औद्योगिक इकाइयों के बकाया ऋण निम्नानुसार है:

(रूपये करोड़ में)

1. रुग्ण-एस एस आई	3609.20
2. गैर-एस एस आई रूग्ण	8613.95
3. गैर-एस एस आई कमजोर	1563.86
कुल	13787.01

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1998 के अन्त की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं की निवेश सूची (पोर्टफोलियो) में रूग्ण इकाइयों की स्थिति निम्नलिखित है:

संस्थाएं	मामलों की संख्या	बकाया सहायता (रुपए करोड़ में)
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई)	725	3228
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि० (आई एफ सी आई)	370	1040
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई सी आई सी आई)	115	202
भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि० (आई आई ई बी आई)	349	317

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संभाव्य रूप से सक्षम पाई गई रूग्ण/दुर्बल इकाइयों (रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों समेत) को उनके के संबंध में पुनर्वास पैकेज के प्रारूपण/कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बर्तमान देयों के लिये उसकी वापसी अदायगी की बड़ी हुई अवधि (7 से 10 वर्ष) में चरणबद्ध तरीके से निधि प्रदान करना/ब्याज में रियायत, नए मीयादी ऋण तथा नई कार्यशील पूंजी सुविधाएं भी प्रदान करना। जहां तक गैर एस एस आई औद्योगिक कंपनियों समेत रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) का संबंध है, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (निवेश उपबंध) अधिनियम 1985 के अंतर्गत गठित एक अर्द्ध न्यायिक निकाय, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर), उपचारात्मक तथा अन्य उपाय करता है तथा ऐसे उपायों को शीघ्र लागू करने के लिये कदम उठाता है। बैंक, उन रूग्ण/दुर्बल इकाइयों, जो गैर अर्थक्षम पाई जाती हैं, से देयों की वसूली के लिये न्यायिक कार्रवाई/अन्य उपाय करता है। पुनर्वास के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के कार्यनिष्पादन तथा रूग्ण इकाइयों से देयों की वसूली की निगरानी भी समय-समय पर की जाती है।

विदेशी निवेशकों पर प्रतिबंध

2956. **श्री नागमणि:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विदेशी निवेशकों द्वारा अपनी पूंजी और अर्जित लाभ को अपने देश वापस ले जाने पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) क्या कोई विदेशी निवेशक अपनी पूंजी किसी भी समय वापस लेने के लिये स्वतंत्र है अथवा इस प्रयोजनार्थ उसे एक निश्चित अवधि तक इंतजार करना पड़ता है; और

(ग) अनिवासी भारतीयों द्वारा किये गये निवेश सहित अब तक देश में कुल कितना विदेशी निवेश किया गया है तथा निवेश का देशवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) और (ख) विदेशी निवेश के संबंध में पूंजी और लाभांश के प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सिवाय इस बात के कि उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में 22 विनिर्दिष्ट उद्योगों में विदेशी निवेश के लिये लाभांश-संतुलन की शर्त लगाई जाती है। लाभांश-संतुलन की शर्त के अधीन लाभांश-भुगतान के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के बहिप्रवाह निर्यात-अर्जनों द्वारा संतुलित किये जाने होते हैं।

(ग) 1.7. 1991 से 31.12.1997 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (अनिवासी भारतीयों के निवेशों सहित) का देशवार अन्तर्प्रवाह विवरण में दिया गया है।

विवरण

1.7.1991 से 31.12.1997 तक विदेशी निवेश (अनिवासी भारतीय सहित) का देशवार अन्त प्रवाह)

क्रम सं॰	देश का नाम	अन्त प्रवाह की राशि
		(करोड़ रुपए में)
1.	अर्जेन्टीना	00.03
2.	आस्ट्रेलिया	110.53
3.	आस्ट्रिया	56.22
4.	बाहमास	25.61
5.	बहरीन	03.18
6.	बेल्जियम	186.88
7.	बेलोरशिया	01.68
8.	भूटान	04.69
9.	बोलिविया	01.74
10.	ब्राजील	01.16
11.	बरमुडा	55.60
12.	ब्रिटिश बरजीनिया	11.49
13.	ब्रिटिश वेस्ट इंडीज	00.70
14.	कनाडा	60.15
15.	चैनल द्वीप	02.15
16.	केमन द्वीपसमूह	03.00
17.	चीन	01.69
18.	साइप्रस	36.86
19.	चेक गणराज्य	01.06
20.	डेनमार्क	172.19
21.	मिस्र	00.60
22.	एस्टोनिया	03.10
23.	फिनलैंड	58.11
24.	फ्रांस	503.67
25.	जर्मनी	1574.40
26.	यूनान	00.50
27.	हांगकांग	554.03
28.	हंगरी	01.10
29.	इंडोनेशिया	11.24
30.	आइल आफ मैन	01.73
31.	ईरान	34.60
32.	आयरलैंड	16.80
33.	इजराइल	64.77
34.	इटली	238.18
35.	जापान	1521.52
36.	जार्डन	00.0088
37.	दक्षिण कोरिया	1504.25
38.	कुवैत	03.88
39.	लाइवटेन्स्टीन	06.13
40.	लक्जमबर्ग	23.78
41.	मलेशिया	92.32
42.	मारिशस	7690.50
43.	माल्टा	00.12
44.	मेक्सिको	00.006
45.	मस्कट	00.89
46.	नीदरलैंड्स	1549.18
47.	नविस	00.10
48.	नार्वे	11.26
49.	अनिवासी भारतीय	566.52
50.	ओमान	07.91
51.	पनामा	07.94
52.	फिलिपीन्स	173.12
53.	पोलैंड	00.35
54.	कतार	00.0025
55.	रोमानिया	00.07
56.	रूस	13.93
57.	सऊदी अरब	04.20
58.	सिंगापुर	498.44
59.	स्लोवाकिया	00.02
60.	दक्षिण अफ्रीका	00.0006
61.	स्पेन	15.78
62.	श्रीलंका	01.40
63.	स्वीडन	325.12
64.	स्विटजरलैंड	612.37
65.	ताइवान	28.13
66.	तंजानिया	00.19
67.	थाइलैंड	226.93
68.	संयुक्त अरब अमीरात	20.87
69.	युक्रेन	00.54
70.	युनाइटेड किंगडम	1828.75
71.	संयुक्त राज्य अमरीका	5223.83
72.	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	02.53
73.	वरिजन द्वीप समूह	58.32
74.	वेस्ट इंडीज	02.38